

6/1/12¹⁵
6/1/12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. NO. /2012

Amendra Kumar Pathak Petitioner.

Versus

The State of Bihar and Ors. Respondents.

Sub :- Removal (Health Service) Non Gazetted.

Index

<u>Sl. Nos.</u>	<u>Annexures</u>	<u>particulars</u>	<u>Page nos.</u>
		Petition with Affidavit	1 to 12
1.	Annexure -1	A copy of memo no. 464 dated 31.08.1013-15
2.	Annexure-2	A copy of memo no 44 dated 21.2.09	...16
3.	Annexure-3	A copy of letter no. 27 dated 23.01.1017
4.	Annexure-4	A copy of certificate dated 2.2.10.18
5.	Annexure-5	A copy of the said proceeding dated 9.2.10.19-20
6.	Annexure-6	A copy of the said guide line21-22
7.	Annexure-7	A copy of letter no. 247 dated 31.7.10.	...23
8.	Annexure-8	A copy of memo no. 1925	

		dated 18.8.1024-26
9	Annexure-9	A copy of application dated 13.10.10	... 27
10.	Annexure-10	A copy of dated 29.1.2012 . Vakalatnama.	...28-29

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. NO. _____/2012

Amendra Kumar Pathak Petitioner.

Versus

The State of Bihar and Ors. Respondents.

Synopsis

The present writ application is being filed for quashing the memo no. 464 dated 31.08.2010 by the one Rakesh Kumar (Respondent no. -7) has appointed in place of petitioner without following the procedure of law. The respondent authority without prior to one month notice to the petitioner appointed are Respondent no. 7. The action of respondent is illegal, malafide, arbitrary and also violative the guideline proceeded by the State Health Society Bihar, Patna.

List of Annexure with date :-

- | | | |
|----|------------|--|
| 1. | Annexure-1 | Impugned order.
31.08.10 |
| 2. | Annexure-2 | Direction for establishment for Data
21.02.09 Centre at P.H.C. Gwalpara. |
| 3. | Annexure-3 | Respondent no. 5 issued direction for
23.1.2010 extension of running Data Centre at
P.H.C. |
| 4. | Annexure-4 | Certificate for good working.
2.2.2010 |

5. Annexure-5 On 9.2.10 Rogi Kalyan Samittee took
9.2.10. decision for extension of service of
petitioner.
6. Ananexure-6 New direction was issued by the
13.7.10 respondent no. 5 for established of Data
Centre at Madhepura, *District*
7. Annexure-7 In-Charge Medical Officer send the list of
31.7.10. selected candidates.
8. Annexure-8 News guideline for establishment/
18.8.10 Selection of Data centre.
9. Annexure-9 Application to District Magistrate ,
13 10 10 Madhepura *State Health Society*
- 10 Annexure-10 Appeal before executive Director, Bihar.
21.1.12. Patna.

HENCE THIS WRIT APPLICATION.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. NO. _____/2012

In the matter of an application
Under Article 226 of the
constitution of India.

And

In the matter of ;

Amendra Kumar Pathak, Son of Sri Shakti Nath Pathak, R/O
Village - Udakishunganj P.S. - Udakishunganj, District - Madhepura.

..... **Petitioner.**

Versus

1. The State of Bihar
2. The Director in - Chief Health Department Government of Bihar, Patna.
3. The Executive Director, State Health Society Government of Bihar, Pariwar Kalyan Bhawan Shekhpura , Patna -14.

4. The District Magistrate Cum-Chairman of District Health Society , Mathepura.
5. The Civil Surgeon Cum Member Secretary of District Health Society, Madhepura.
6. The Incharge Medical Officer Cum- Chairman of Rogi Kalyan Samittee Primary Health Centre Gwalpara, District - Madhepura.
7. Rakesh Kumar Son of not known to the petitioner presently working as Data operator primary Health Centre Gwalpara, District - Madhepura.

..... **Respondents.**

To,

The Hon'ble MS Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble application on behalf of the petitioner named above.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH :-

1. That this is an application on behalf of abovenamed petitioner for issuance of appropriate writ(s) / Order(s)/ Direction (s) for following relief(s):-

- i. For quashing the order contained in memo no. 464 / D.H.S. Dated 31.08.10 issued by respondent no. 5 so far its relates to selection of Rakesh Kumar (Respondent no. -7) as Data Operator at Primary Health Centre Gwalpara District - Madhepura. A copy of memo no. 464 dated 31.08.10 is being annexed as **Annexure -1** to this application.
 - ii. For issuance of Direction to the respondents to consider and appoint the petitioner as Data Operator in place of Respondent no. 07 at Primary health centre Gwalpara District - Madhepura.
 - iii. For payment of fixed remuneration to the petitioner for the period of May 2010 to July 2010.
 - iv. For issuance of any appropriate order(s) / direction (s) which may deems fit and proper.
2. That the instant writ application is inter-alia based on following grounds. :-
- i. That the selection and appointment of Respondent no. 07 and non renewal of petitioner as Data Operator is arbitrary, illegal, unwarranted and also against the guideline issued by the Respondent no. 3.

- ii. That the action of respondent is also against the Provisions of Article 14,16 and 21 of the Constitution of India as well as Principle of Natural Justice.
- iii. That non payment of fixed remuneration of petitioner after taking work is also against the settled principle of law.
- iv. That for imposition of suitable cost to the respondent no. 05 for appointment Data Centre operator against the Rules and guide lines provided by the state Health Society.
3. That the petitioner is citizen of India and residing within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.
4. That the state Health Society Bihar Patna has decided to establish a Data Centre in each of the Primary Health Centre of Bihar. For this purpose a guideline was issued by the state Health Society through it letter no. 5888 dated 10.04.08 . It is also pertinent to state here that the said Data was centre here to be established by the private persons having requisite qualification as well as experience along with all requirements and equipment.
5. That in pursuance to the guide line issued by the state Health Society and advertisement was published each and every Primary Health Centre of Mdhepura District and application were invited from the eligible candidates.

6. That the petitioners having requisite qualification of graduate along with Diploma in Computer education as well as working experience in Data operator system also applied for selection and appointment as Data centre operator for primary Health Centre Gwalpara District Madhepura others also applied along with petitioner.
7. That on 20.2.09 an interview cum computer efficiency test was held by under the chairmanship of Civil Surgeon Cum Chief Medical Officer Madhepura. Petitioner as well as others appeared for the said test petitioner done well in interview as well as computer efficiency test. As such he was declared as successful for establishing Data Centre of Primary Health Centre Gwalpara District - Madhepura.
8. That after completion of selection process an office order was issued vide memo no. 44 dated 21.2.09 issued by the In charge Medical Officer Cum- Chairman of Ragi Klyan Samittee Primary Health Centre Gwalpara, District - Madhepura directing the petitioner to establish Data Centre along with all fixtures at Primary Health Centre Gwalpara, District Madhepura. A copy of memo no. 44 dated 21.2.09 is

being annexed hereto and marked as **Annexure -2** to this application.

9. That as per the direction of respondent no. 6 petitioner established the said Data Centre and working to the satisfaction of all concerned.

10. That before completion of one year contractual period the In-Charge Medical Officer of Primary Health Centre Invited guide line from Respondent no. 05 with regard to further extension of the Data Centre operator. In its Response the Respondent no. 05 vide its letter no. 27/ D.H.S. dated 23.1.10 addressed to the In-charge Medical officer Primary Health Centre Kumarkhand, District - Madhepura issued a direction for extension of the period through the general body decision of Rogi Kalyan Samittee Hence it is also made clear that similar direction has also been issued for Primary Health Centre Gwalpara District - Madhepura. A copy of Letter no. 27 dated 23.1.10 is annexed hereto and marked as **Annexure - 3** to this application.

11. That a certificate for good and satisfactory working of the petitioner was also granted by the In-charge Medical Officer,

Primary Health Centre, Gwalpara vide it memo no. 25 dated 2.2.2010 . This certificate was also forwarded to the respondent no. 05 A copy of certificate dated 2.2.10 is being annexed as **Annexure -4** to this application.

12. That in the meeting of Rogi Kalyan Samittee dated 9.2.10 vide it proposal no. 3, a decision was taken to extend the service period of petitioner for further eleven months. A copy of the said proceeding dated 9.2.10 is being annexed as **Annexure -5** to this application.

13. That thereafter petitioner again started his duty as Data operator in Primary Health Centre Gwalpara to the satisfaction of all the concerned and getting his remuneration till April 2010 . But, since may 2010 to July 2010 no payment was made to the petitioner , However he has performed his duly of Data entry operator regularly till 31. July 2010.

14. That vide letter no. 325 dated 13.07.2010 issued by the respondent no. 05 a guide line for advertisement / selection of Data entry operator at Primary Health Centre of Madhepura District was issued. It is relevant to state here that the power for selection of Data Entry operator was given to the concerned Rogi Kalyan Samittee of Primary Health Centre. A copy of the

said guide line is being annexed as **Annexure -6** to this application.

15. That in pursuant to above said guide line the In-charge Medical officer of Primary Health Centre Gwalpara vide its letter no. 247 dated 31.7.10 addressed to the Respondent no. 05 sent the list of three selected candidate's including the name of petitioner. A copy of letter no. 247 dated 31.07.10 is being annexed as **Annexure -7** to this application.
16. That in the mean time a guide line for up-gradation for those centres which are functioning as well as establishment of New Data Centre was issued by the Executive Director of State Health Society Bihar vide its memo no. 19256 dated 18.08.10. In this guide line there is specific provision for the centre already functioning in column. (Gha). A copy of memo no. 19256 dated 18.08.10 is being annexed as **Annexure -8** to this application.
17. That in the meantime the respondent no. 05 vide its order contained in Memo no. 764 dated 31.08.10 recommended the name of one Rakesh Kumar (Respondent no. 07) in place of petitioner ignoring the recommendation send by the In-charge

Medical Officer Primary Health Centre, Gwalpara as well as the Guide line issued by the State Health Society for establishment and functioning of Data Centre at Primary Health Centre (Copy of memo no. 464 dated 31.08.10 has already been annexed as **Annexure -1** to this application.)

18. That the selection and appointment of Respondent no. 07 is illegal, arbitrary, Malafide and also against guide line of State Health Society, Bihar, Patna.
19. That thereafter against the action taken by Respondent no. 05 petitioner filed a objection before the District Magistrate Cum- Chairman of the District Health Society, Madhepura on 13.10.10 but till date no action has been taken. A copy of application dated 13.10.10 is being annexed as **Annexure -9** to this application.
20. That like wise petitioner one Amit Kumar Singh who was running Data centre Primary Health Centre Alam Nagar, District - Madhepura was also removed by the Respondent no. 05 but after his complain, he was again permitted to establish Data Centre at Primary Health Centre Murho, District - Madhepura.

21. That the selection and appointment of Respondent no. 07 as Data Centre operator is illegal and violation viod initio.
22. That when no action has been taken by the Respondent no. -04 then the petitioner filed a appeal before the Executive Director, State health Society , Bihar, Patna on 29.1.12 but till date no action has been taken in this regard. A copy of appeal dated 29.01.2012 is being annexed as **Annexure -10** to this application.
23. That before issuance of appointment/ selection letter in favour of Respondent no. 07 no notice or show cause was given to the petitioner neither any accusation of malfunctioning against the petitioner.
24. That the action of respondents is violative of Article 14,16 and 21 of the constitution of India and also violative of principle of Natural Justice.
25. That the petitioner has left with no any other equally efficacious alternative remedy than to move before this Hon'ble Court.
26. That the petitioner has not moved before this Hon'ble Court earlier in this connection.

It is, therefore prayed, that Your Lordships may graciously be pleased to issue notices to the Respondent and after hearing the parties may allow the prayer made in the Paragraph No. 1 of this application.

And /Or

May pass such any other order/ Orders which may deems fit and proper.

And for this petitioner shall ever pray.

Affidavit

I, Amendra Kumar Pathak, aged about 39 years, Son of Sri Shakti Nath Pathak, R/O Village Udakishungaj P.S. Udakishunganj, District - Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That I have gone through the contents of this case and I have understood the same.
3. That the statements made in Paragraph nos 3 to 24 to are true to my knowledge and those made in paragraph nos. ml are based on information derived from the records and rests are by way of submission before this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true/ photo copies of their respective originals.

Annexure - 1

जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा

:- आदेश :-

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-19256, दिनांक-18.08.2010 के आलोक में जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा द्वारा गोंदिया के आधार पर डाटा सेन्टर संचालक का चयन हेतु दिनांक 31-08-2010 की आयोजित कम्प्यूटर जांच परीक्षा के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति, मधेपुरा द्वारा तैयार की गयी मेधा सूची के निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने अंकित संस्थानों में कार्य सम्पादन हेतु कार्यदेश पत्र निर्गत करने हेतु संविदा के आधार पर निम्नलिखित शर्तों एवं बंधनों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

क्र०	नाम	पदस्थापन स्थल	अनुबंध की अवधि	अभ्युक्ति
01	मो० नौशाद अंसारी	सदर अस्पताल, मधेपुरा	01 (एक) वर्ष	
02	अजीत कुमार गुप्ता	प्रा०स्वा०केन्द्र, आलमनगर	01 (एक) वर्ष	
03	अरुणी कुमार	प्रा०स्वा०केन्द्र, नौगा	01 (एक) वर्ष	
04	मो० अली	प्रा०स्वा०केन्द्र, कुमारखंड	01 (एक) वर्ष	
05	पंकज कुमार	प्रा०स्वा०केन्द्र, मुरहो	01 (एक) वर्ष	श्री पंकज कुमार, जिला प्रतिरक्षण कार्यालय के साथ-साथ प्रा०स्वा०केन्द्र, मुरहो का भी कार्य देखेंगे।
06	प्रणय कुमार	प्रा०स्वा०केन्द्र, मुरलीगंज	01 (एक) वर्ष	
07	सोबु भारती	प्रा०स्वा०केन्द्र, सिंहेश्वर	01 (एक) वर्ष	
08	राहुल कुमार	प्रा०स्वा०केन्द्र, उदाकिशुनगंज	01 (एक) वर्ष	
09	राकेश कुमार	प्रा०स्वा०केन्द्र, ग्वालपाड़ा	01 (एक) वर्ष	
10	अधिनाश कुमार गुप्ता	प्रा०स्वा०केन्द्र, बिहारीगंज	01 (एक) वर्ष	
11	गोपी रमण दास	प्रा०स्वा०केन्द्र, गम्हारिया	01 (एक) वर्ष	
12	राकेश रौशन	प्रा०स्वा०केन्द्र, शंकरपुर	01 (एक) वर्ष	
13	मधुकर श्रीवास्तव	प्रा०स्वा०केन्द्र, घैलाढ़	01 (एक) वर्ष	
14	नरेन्द्र कुमार शर्मा	प्रा०स्वा०केन्द्र, पुरैनी	01 (एक) वर्ष	
15	मो० सलाम	जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा	01 (एक) वर्ष	
16	पंकज कुमार	जिला प्रतिरक्षण कार्यालय, मधेपुरा	01 (एक) वर्ष	

- उपरोक्त चयनित डाटा सेन्टर संचालक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्त की तिथि से सात दिनों के अंदर नाम के सामने अंकित पदस्थापन स्थान (मुख्यालय) में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि तक योगदान नहीं समर्पित करने पर आपकी अभ्यर्तिता निरस्त कर दी जाएगी।

2. विभागीय निदेशानुसार डाटा सेन्टर संचालक को अधिकतम मो०-7,500/- (सात हजार पांच सौ रु०) मात्र प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा इसके अतिरिक्त कोई TA/DA अथवा अन्य राशि देय नहीं होगा। अनुबंध के आधार पर नियुक्त मात्र 01 (एक) वर्ष के लिए है। साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा दिए गए पारा मीटर के अनुरूप उपकरण आपूर्ति कराने उपरान्त ही मो०-7,500/- रु० राशि दी जाएगी, जो उपकरण निम्न है :-

Sl.No.	Particulars of Provision & Facility	Cost per month for Operate Data Centre
01	Computer with UPS (PIV, 1GB RAM, 1 Web Camera)	1200/-
02	Laser Printer with Scanner	600/-
03	Telephone	300/-
04	Internet Connection (with unlimited uploading & downloading facilities through GPRS or Data Card)	1,000/-
05	Computer Operator Salary [Rs.145(Rate per days for Skilled labour) X26]	3,770/-
06	Misc. (Pen Drive, CD, Travelling, others)	530/-
Total		7,500/-

उक्त कॉलम के अनुसार सभी उपकरणों का आपूर्ति योगदान के एक सप्ताह के अंदर पूर्ण रूप से सुसजित कर लेना अनिवार्य है अन्यथा योगदान को अस्वीकृत कर दी जाएगी।

- संवैदा के आधार पर नियुक्त डाटा सेन्टर संचालक का अनुबंध एक माह के नोटिश पर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- संवैदा के आधार पर अनुबंधित डाटा सेन्टर संचालक को योगदान के समय फौजदारी मुकदमा रहित शपथ-पत्र एवं नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करने का Indemnity Bond समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- यदि किसी भी समय थह तथ्य प्रकाश में आता है कि अनुबंधित डाटा सेन्टर संचालक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में गलत सूचना अंकित की गयी है अथवा फर्जी प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है तो संबंधित अनुबंधित डाटा सेन्टर संचालक का अनुबंध समाप्त करते हुए मानदेय के रूप में भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि सहित प्रत्येक वर्ष के लिए इनके द्वारा समर्पित गारंटी को खोना जाएगा।
- अनुबंधित डाटा सेन्टर संचालक को संवैदा के लिए आवश्यक सभी उपकरणों का पर्याप्त होना पर आवश्यक आधोपराक्त किसी भी प्रकार के खर्च का दावा नहीं किया जाएगा।
- अनुबंध के आधार पर डाटा सेन्टर संचालक का कोई विद्योक्तन नहीं होगा। अनुबंधित डाटा सेन्टर संचालक द्वारा किसी भी परिस्थिति में सरकार को नुकसान का दावा नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में सरकारी सेवा के लिए अनुभव्य सुविधाएँ इत्यादि का दावा उनके द्वारा नहीं किया जाएगा।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना डाटा सेन्टर संचालक का परम दायित्व होगा। बिना अधोहस्ताक्षरी के पूर्वानुमति के कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए जाने की स्थिति में अनुपस्थित अवधि का मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- डाटा सेन्टर संचालक का कार्यस्थल संबंधित प्रा०स्वा०केन्द्र/ सदर अस्पताल/ जिला प्रतिरक्षण कार्यालय/ जिला स्वास्थ्य समिति मुख्यालय होगा तथा वे नियमित रूप से कार्यस्थल में आवासन सुधोशेषित करेंगे। इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

३०/-

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

झापांक 464 डी०एच०एस०, मधेपुरा, दिनांक 31-8-10

प्रतिलिपि :- वयनित संबंधित डाटा सेन्टर संचालक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

हस्ताक्षर :-


सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

झापांक 464 डी०एच०एस०, मधेपुरा, दिनांक 31-8-10

प्रतिलिपि :- प्रभारी, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा/ उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधेपुरा जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा। उप विधायक आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।


31-8-10
सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

कार्यालय, रोगी कल्याण समिति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्वालपाड़ा (मधेपुरा)

कार्यादेश

प्रेषित,

श्री अमरेन्द्र कुमार पाठक
पिता- श्री शक्तिनाथ पाठक
उदाकिशुनगंज, मधेपुरा।

विषय :- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्वालपाड़ा में डाटा सेंटर स्थापित करने हेतु।

असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.09 को जिला यक्ष्मा केन्द्र कार्यालय में हुए डाटा ऑपरेटरों का साक्षात्कार में आपका चयन किया गया है।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 5888 दिनांक 10.04.08 में निहित निर्देश के आलोक में आपको निम्नलिखित सामानों के साथ डाटा सेंटर स्थापित कर कार्य करने हेतु आदेश दिया जाता है। इसके बदले में प्रत्येक माह निम्नलिखित राशि आपको देय होगी।

क्रमांक	डाटा सेंटर परिचालन हेतु डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा मुहैया कराये जाने वाले मशीन/उपकरण का विवरण	प्रतिमाह देय राशि	अभ्युक्ति
1	P-IV Computer with UPS	1100.00	
2	Laser Printer	300.00	
3	Telephone	300.00	
4	Internet Connection / Internet	250.00	
5	Computer Operator Salary	3000.00	
6	Misc.	250.00	
Total :		5200.00	रूपये पांच हजार दो सौ मात्र

पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर उपर्युक्त सभी उपकरणों के साथ डाटा सेंटर स्थापित कर कार्य शुरू कर दें। अन्यथा यह कार्यादेश स्वतः रद्द समझा जायेगा। साथ ही कार्य प्रारम्भ के समय एकरारनामा करना होगा जो कार्य की प्रभावी तिथि मानी जाएगी। सरकार अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा समय-समय पर नियम एवं शर्तों में किये जाने वाले संशोधनों का अक्षरशः अनुपालन के लिए डाटा इन्ट्री ऑपरेटर बाध्य होंगे। कार्य संतोषजनक नहीं होने पर प्राधिकारी द्वारा कार्यादेश बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जाएगा।

ह0/-

अध्यक्ष

रोगी कल्याण समिति,
प्रा0स्वा0केन्द्र, ग्वालपाड़ा

ज्ञापांक44...../ग्वालपाड़ा, दिनांक21.2.09.....

प्रतिलिपि :- जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन -सह- सदस्य सचिव, जिला स्वा0 समिति, मधेपुरा को उनके पत्रांक 273 दिनांक 20.11.08 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

V. Prasad
21.2.09
अध्यक्ष

रोगी कल्याण समिति,
प्रा0स्वा0केन्द्र, ग्वालपाड़ा

Annexure - 3



बिहार सरकार

District Health Society, Madhepura
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा

Phone No. / Fax No. - 06476-223204/222085



डा० विश्वनाथ तिवारी,
सिविल सर्जन -सह- मधेपुरा सचिव

पत्र सं. 27 / मधेपुरा/सं.
मधेपुरा, दिनांक- 23/01/2010

प्रेषित :- प्रमारी चिकित्सा पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
रोगी कल्याण समिति, प्रा०स्वा०केन्द्र, कुमरसरायड।


विषय :- आटा सेन्टर संचालक के अवधि विस्तार के संबंध में।

प्रसंग :- आपक पत्र सं. 449 दिनांक- 24.12.2009

कृपया,

उपरोक्त विषयक प्रारंभिक पत्र के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि प्रा०स्वा०केन्द्र में आटा सेन्टर की स्थापना रोगी कल्याण समिति के माध्यम से की गयी है एवं उसकी अंतिम विस्तार का कार्य भी रोगी कल्याण समिति का ही है। इस संबंध में निर्देश दिया जा चुका है कि यदि आपक संस्थान के आटा सेन्टर संचालक का कार्य संतोषजनक एवं उसके द्वारा Daily Data Uploading का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है तो Performance Report के आधार पर आटा कल्याण समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही का विस्तार किया जा सकता है।

निर्वाह/संज्ञक


सिविल सर्जन -सह- मधेपुरा सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा

Amreender 4


कार्यालय प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्रा० स्वा०के०, ग्वालपाड़ा

ज्ञापांक.....25...../ग्वालपाड़ा, दिनांक.....02-02-10.....

अमरेन्द्र कुमार पाठक डाटा ऑपरेटर


श्री अमरेन्द्र कुमार पाठक (डाटा ऑपरेटर) का चयन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के पत्रांक 5888 दिनांक 10. 04. 08 में निहित निर्देश के आलोक में असैनिक शल्य चिकित्सक सह मु० चि० पदा० की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.09 को यक्षा केंद्र कार्यालय में हुए डाटा ऑपरेटरों के साक्षात्कार के उपरान्त चयन किया गया है । इन्होंने दिनांक 25.02.09 से नियमित रूप से अब तक अपना कार्य यथा-दैनिक रिपोर्ट (OPD, Indoor, E/R, Delivery आदि) नियमित टीकाकरण का माईक्रोप्लान एवं दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक रिपोर्ट का कम्प्यूटरीकृत रिपोर्ट बनाकर जिला को भेजना, पल्स पोलियो अभियान का दैनिक कार्य का संकलन कर कम्प्यूटराईज्ड कॉपी जिला को भेजना, H.M.I.S बेबसाईट एवं SHS बेबसाईट पर दैनिक एवं मासिक रिपोर्ट अपलोड करना तथा समय समय पर कार्यालय के काम आने वाले सभी प्रकार के पत्रों का कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य सुचारू रूप से किया है ।

इनका अब तक का कार्य संतोषप्रद एवं आचरण उत्तम है ।


प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्रा०स्वा०के०, ग्वालपाड़ा
ग्वालपाड़ा (मधेपुरा)

ज्ञापांक.....25...../ग्वालपाड़ा, दिनांक.....02-02-10.....

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वा० समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्रा०स्वा०के०, ग्वालपाड़ा
ग्वालपाड़ा (मधेपुरा)

प्रभाव सं-३। → आज की बैठक में अध्यक्ष महोदय के
 द्वारा सभी सदस्यों को जानकारी दी गई कि
 डा. ऑफिस ही अनेक कामों को
 एकीकृत कर जनकरी १० को ही समाप्त हो गया
 है किन्तु उनके द्वारा अभी रकमों का
 का कार्य लिया जा रहा है। इनका कार्य
 बहुत ही संतोष प्रदान है। अतः इनका सुविकार
 अर्थात् ॥ (०४२५) काट के लिए विकल्प
 करने की अनुमति किताब लभ्य है।
 अर्थात् सभी सदस्यों के अधिकारों को
 धारित किताब।

07.12.10

Annexure - 6

रोगी कल्याण समिति, प्रा0रवा0केन्द्र

विज्ञापन

रोगी कल्याण समिति, प्रा0रवा0केन्द्र,..... में डाटा ऑपरेटर रखने हेतु विज्ञापन आमंत्रित की जाती है, जिसमें निम्न शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता होना अनिवार्य है :-

01. शैक्षणिक योग्यता :- Intermediate

02. तकनीकी योग्यता :- Diploma in Computer Application के साथ-साथ कम से कम एक वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव एवं हिन्दी, अंग्रेजी में टाइपिंग की अच्छी जानकारी, इंटरनेट के द्वारा डाटा अप-लॉड की भी जानकारी होना अनिवार्य है।

सबसे अधिक उम्मीदवार विज्ञापन अनुसार अपना आवेदन-पत्र रोगी कल्याण समिति, प्रा0रवा0केन्द्र,.....

में जमा करनी चाहें।

दिनांक 13-7-10 तक।

नोट :- (अ) संचालक :- कम्प्यूटर ऑपरेटर, कम्प्यूटर सेट, यू0पी0एस0, निजर प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन, तेलीफोन कनेक्शन, मिशलेनियस सहित आपूर्ति करेंगे, जिसका कुल भुगतान-5,200/-50 देय होगा।

पत्रांक :- 322 दिनांक :- 13-7-2010

प्रभारी चिकित्सा प्रशासक,

रोगी कल्याण समिति,

प्रा0रवा0केन्द्र,.....

दिशा-निर्देश


मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को आदेशित है कि डाटा सेन्टर में डाटा संचालक के नियोजन हेतु दिशा-निर्देश निम्न प्रकार है :-

01. डाटा सेन्टर में डाटा संचालक के नियोजन हेतु रोगी कल्याण समिति की बैठक कर स्वीकृति ले ली जाए।
02. डाटा सेन्टर हेतु विज्ञापन को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नोटिश बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाशित की जाए।
03. विज्ञापन के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार एक आवेदन दें, जिसमें शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के साथ-साथ अनुभव प्रमाण-पत्र एवं इंटरनेट पर डाटा अप-लॉड करने का भी अनुभव होना अनिवार्य है।
04. सभी इच्छुक अभ्यर्थियों का आवेदन एकत्र कर अपने स्तर से नियोजन कर सकते हैं। वशर्ते कोई कम्प्यूटर तकनीकी जानकार जो कम्प्यूटर की अच्छी जानकारी रखते हो साथ ही जो सरकारी संस्था में कार्यरत हो या एन0आई0सी0 से संबंधित हो, उनको साक्षात्कार में उपस्थित रहना अनिवार्य है।
05. यदि पारंपरिक विधि नियोजन नहीं हो सके, तो कम से कम तीन अभ्यर्थियों का आवेदन पूर्ण कागजात के साथ जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा में भेजी जाए, ताकि उनका नियोजन हो सके।
06. सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपने स्तर से नियोजन नहीं हो पाया तो उसकी सम्पूर्ण जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा से करा लें।
07. यदि डाटा सेन्टर में डाटा संचालक सभी उपकरणों सहित जो निम्न है :-

(क) कम्प्यूटर सेट एवं यू0पी0एस0	- 1100/-
(ख) लेजर प्रिंटर	- 300/-
(ग) टेलीफोन	- 300/-
(घ) इंटरनेट कनेक्शन	- 250/-
(ङ) कम्प्यूटर ऑपरेटर रोलेट	- 3000/-
(च) मिशलेनियस	- 250/-
	- 5200/-

इस प्रकार डाटा सेन्टर में डाटा संचालक को 5,200/-रु० देय होगा। यदि उक्त उपकरणों में से कोई भी उपकरण नहीं उपलब्ध कराते हैं, तो उसके अनुसार देय राशि में कटौती कर ली जाएगी।

08. डाटा सेन्टर में डाटा संचालक को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति से कागजात एवं प्रिंटर के कार्टेज उपलब्ध करावेंगे।
09. सम्पुष्टि के बाद मानदेय का भुगतान NRIIM-B के FMR Code-1.22 से किया जाएगा।


सिविल सर्जन-सह-सदस्य आंध्र,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

Amrind - 7

पत्रांक 247 /

प्रेषक : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्रा.स्वा.केन्द्र, ग्वालपाड़ा

सेवा में : सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वा० समिति, मधेपुरा ।

ग्वालपाड़ा दिनांक 31-07-10/

विषय : डाटा ऑपरेटर के चयन हेतु आवेदन संकलन कर भेजने के संबंध में ।

प्रसंग : पत्रांक 325 दिनांक 13-07-10

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि श्री मान के पत्रांक 325 दिनांक 13. 07. 10 के आलोक में इस संस्थान में डाटा ऑपरेटर के चयन के लिए संकलित 3 (तीन) निर्मांकित आवेदन श्रीमान् की सेवा में भेजी जा रही है ।

श्री मान् को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

आवेदक का नाम :

01. रतन कुमार 'रोशन'
02. नवीन कुमार
- 03 अमरेन्द्र कुमार पाठक

विश्वासभाजन

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
ग्वालपाड़ा (मधेपुरा)

01e

Assured

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना, 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone: 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website: www.shsbihar.org, E-mail: info@shsbihar.org



बिहार सरकार

संजय कुमार, मा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक-SHSB/IEC/52/06-P-IV

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति।

दिनांक2010.

विषय : जिला एवं ब्लॉक स्तर पर पूर्व से स्थापित एवं संचालित डाटा सेंटर के उन्नयन (Upgradation) तथा नये डाटा सेंटर की स्थापना के संबंध में नई दिशा निर्देश।

प्रसंग: राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक-SHSB/IEC/52/P-I/5888, दिनांक -10/04/2008।

महाशय/ महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रति माह ₹० 5200/- की दर से डाटा सेंटर की स्थापना एवं संचालन के लिए निर्देश दिया गया था। उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि:-
(क) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 के Record of Procedure (R.O.P.) में जिला एवं ब्लॉक स्तर के डाटा सेंटर के उन्नयन (Upgradation) के लिए प्रति माह प्रति डाटा सेंटर ₹० 7500/- की दर से स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने वर्तमान में स्थापित एवं संचालित डाटा सेंटर को निम्न प्रकार Upgrade करने का निर्णय लिया है :-

Sl.No	Data Centre before Upgradation		Data Centre after Upgradation	
	Particulars	Cost (Rs. Per month)	Particulars of Provision and Facility	Cost per month for Upgraded Data Centre [in Rupees]
1	Computer with UPS	1100/-	Computer with UPS (P-IV, 1 GB RAM, 1 Web Camera with UPS)	1,300/-
2	Laser Printer	300/-	Laser Printer with Scanner	600/-
3	Phone	300/-	Telephone	300/-
4	Internet Connection	250/-	Internet Connection (with unlimited uploading & downloading facilities through GPRS or Data Card)	1,000/-
5	Computer Operator Salary	3000/-	Computer Operator Salary Rs. 145 [Rate per days for Skilled Labour] x 20	3,700/-
6	Misc.	250/-	Misc. (Pen Drive, CD, Travelling, others)	500/-
Total (For One Data Centre)		5,200/-	Total (For One Data Centre)	7,500/-

उपरोक्त Upgraded डाटा सेंटर की व्यवस्था एवं रख-रखाव डाटा सेंटर के द्वारा किया जायेगा।

Assured
15/08/10



State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शंखपुरा पटना 800014
Panwar Kalyan Bhowan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0812-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290323, 2290340
Website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org



(ख) Upgraded डाटा सेंटर के लिए प्रति माह की जानेवाली भुगतान को Performance आधारित बनाया गया है। HMIS Web Portal पर डाटा अपलोड किये जाने तथा डाटा संबंधित अन्य विविध कार्य सम्पादित करने के आधार पर डाटा सेंटर को तीन श्रेणी में विभक्त किया गया है। HMIS Web Portal पर आवश्यक डाटा अपलोड किये जाने के लिए अधिकतम पाँच अंक तथा कम्प्यूटर पर डाटा सम्बंधित अन्य संतोषप्रद कार्य सम्पादित करने के लिए अतिरिक्त अधिकतम पाँच अंक अर्थात् कुल दस अंक निर्धारित किये गये हैं।

डाटा सेंटर का Performance आधारित भुगतान निम्न प्रकार किया जायेगा :-

- 1) नौ या नौ से अधिक अंक प्राप्त होने पर प्रति माह 7500/-रुपये,
- 2) नौ से कम एवं आठ अथवा आठ से अधिक अंक प्राप्त होने पर प्रति माह 6800/-रुपये,
- 3) आठ से कम एवं छः अथवा छः से अधिक अंक प्राप्त होने पर प्रति माह 6000/- रुपये।

छः से कम अंक प्राप्त करने वाले डाटा सेंटर को इस शर्त के साथ 6000/- रुपये, प्रति माह की दर से भुगतान किया जायेगा कि संबंधित डाटा सेंटर को एक या अधिकतम दो माह के अंदर Performance में अपेक्षित सुधार लाना आवश्यक होगा अन्यथा नये सिरे से इसकी स्थापना किया जायेगा।

प्रत्येक डाटा सेंटर को HMIS Web Portal पर आवश्यक डाटा अपलोड किये जाने के लिए न्यूनतम तीन अंक तथा डाटा सम्बंधित अन्य कार्य सम्पादित करने के लिए भी न्यूनतम तीन अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

डाटा सेंटर के Performance आंकलन एवं अंक प्रदान करने हेतु जिला एवं अन्य स्तर पर निर्मांकित सदस्यों की त्रि-सदस्यीय कमिटी गठित की गई है:

- (a) सिविल सर्जन सह-सदस्य सचिव (जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय हेतु) /अधीशक (सदर अस्पताल हेतु) /उपधीशक (अनुमण्डलीय अस्पताल हेतु) / प्रभारी, चिकित्सा पदाधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु)।
- (b) जिला कार्यक्रम प्रबंधक /प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक।
- (c) जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी /प्रभारी जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी।

(ग) भारत सरकार से वर्ष 2010-11 के R.O.P में राज्य में कुल 685 डाटा सेंटर की स्थापना एवं संचालन के लिए स्वीकृति प्राप्ता हुई है (सूची संलग्न)। संलग्न सूची में दर्शायी गई संख्या के अनुसार जिला अस्पताल, अनुमण्डलीय अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (जहाँ डाटा सेंटर स्थापित नहीं है) में डाटा सेंटर की स्थापना एवं संचालन संबंधित अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के द्वारा किया जाये। जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिन अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति का गठन नहीं हुआ है में गठन किये जाने तक डाटा सेंटर की स्थापना एवं भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से किये जायेंगे। नये डाटा सेंटर की स्थापना एवं संचालन Upgraded डाटा सेंटर के अनुरूप यथाशीघ्र करते हुए इसकी सूचना से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

पूर्व में क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवों के कार्यालय के लिए चिन्हित डाटा सेंटर का चयन अब प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय में राज्य स्तर से किया जायेगा। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पूर्व से स्थापित दो डाटा सेंटर को छोड़ कर) के डाटा सेंटर का भी चयन राज्य स्तर से किया जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पूर्व में प्रेषित पत्रांक-SHSB/IEC/ 52/P-1/8335, दिनांक -18/11/2008 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय एवं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए राज्य स्तर से चयनित डाटा सेंटर का भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति /मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा किया जायेगा। भुगतान हेतु राशि जिले को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

Alexander
15/10/10

Alexander
15/10/10



State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण केंद्र, शेखपुरा, पटना - 800014
Parivar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone: (612) 3753447, 3759448, 2290331, 2290332, 2290326, 2290340
Website: www.bihar.gov.in Email: info@shsbihar.org



(घ) पूर्व से संबन्धित डाटा सेंटर निश्चित रूप से दिनांक 31/03/10 तक उपलब्ध हो जाने चाहिये। डाटा सेंटर के अपडेट होने के पश्चात ही उपरोक्त अंशक (घ) के अनुसरण आवश्यकता अनुसार आवश्यक किया जाये।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त सूचिकाओं में जो कार्य निर्दिष्ट किए गये हैं, वे सभी तत्काल कारवाई में सुनिश्चित होना चाहिये।

निश्चयभाजन

807


(संजय कुमार)

जापानक : 19256.....

दिनांक : 18.06.10.....

प्रतिनिधि :

1. सभी क्षेत्रीय उपा निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं को सूचनाएं प्रेषित।
2. सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सूचनाएं प्रेषित करते हुए निर्देशित है कि चार डाटा सेंटर (दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए दो डाटा सेंटर हेतु) को स्थापना एवं संचालन हेतु समुचित स्थान पहले से चिन्हित कर ले ताकि समयोपरित डाटा सेंटर अविलम्ब कार्य करना प्रारम्भ कर दे।
3. सभी सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनाएं एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करते हुये निर्देशित है कि वे अपने अर्थानुसार सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसकी एक प्रति अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(संजय कुमार)

सेवा में,

Anand Kumar

अध्यक्ष सह जिला पदाधिकारी,

जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा

विषय :- डाटा ऑपरेटर के चयन के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं विगत 19 माह से प्रा० स्वा० केन्द्र, ग्वालपाड़ा में डाटा सेंटर का संचालन सुचारु रूप से करता आ रहा हूँ। इस अवधि में मेरा कार्य संतोषप्रद एवं सराहनीय रूप से इस आशय का प्रमाण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र, ग्वालपाड़ा द्वारा दिया गया है।

श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि दिनांक 22.07.2010 को सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा के द्वारा जिलान्तर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित डाटा सेंटर को निरस्त कर दिया गया एवं पुनः नये सिरे से सभी प्रा० स्वा० केन्द्र को डाटा ऑपरेटर के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए सिविल सर्जन, मधेपुरा द्वारा दिशा निर्देश दिया गया था, इस दिशा निर्देश में स्पष्ट लिखा गया था कि एक विज्ञापन द्वारा अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त कर प्रखण्ड रोगी कल्याण समिति कि बैठक कर सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर योग्य अभ्यर्थी को डाटा सेंटर संचालक के लिए चुना जाय यदि प्रखण्ड रोगी कल्याण समिति इस कार्य को करने में समर्थ नहीं हैं तो सभी अभ्यर्थियों में से तीन योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र को संलग्न कर जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को अग्रसारित कर दें इनमें से एक योग्य अभ्यर्थी का साक्षात्कार द्वारा चयन किया जायेगा। लेकिन दिनांक 31.08.2010 को जिला मुख्यालय में हुए साक्षात्कार में प्रा० स्वा० केन्द्र, ग्वालपाड़ा से 2 अभ्यर्थी उपस्थित हो सके, इन अभ्यर्थियों में से किसी का चयन ना होकर किसी अन्य अभ्यर्थी (राकेश कुमार) का चयन किया ^{गया} जो कि वहाँ का आवेदक नहीं था।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि इस संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी बना रहूँगा।

विश्वासभाजन

अमरेंद्र कुमार पाठक

पिता- श्री शक्तिनाथ पाठक (स्वतंत्रता सेनानी),

उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

1. उच्चाधिकारी से प्राप्त दिशा निर्देश की
अनुलग्नक 2 दिशा निर्देश ~~अनुलग्नक 2~~
2. ~~श्री के आलोक से प्राप्त आवेदन मेजे जाय पत्र~~
की प्रति - 1

13.10.010

Amrinder - 10

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना

विषय : मधेपुरा जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्वालपाड़ा में डाटा ऑपरेटर के चयन में गलत तरीके से चयन करने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं विगत 19 माह से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्वालपाड़ा में डाटा ऑपरेटर का कार्य सुचारु रूप से करता आ रहा हूँ । इस अवधि में मेरा कार्य संतोषप्रद एवं सराहनीय रहा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा द्वारा भी दिया गया है ।

श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य स्वा० समिति के ज्ञाभांक 19256 दिनांक 18.08.10 का हवाला देते हुए दिनांक 22.07.2010 को सिविल सर्जन मधेपुरा द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित डाटा सेंटर को निरस्त कर दिया गया जबकि उक्त पत्र में ऐसा कोई निर्देश नहीं था । तदुपरान्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को डाटा ऑपरेटर के चयन के लिए आवेदन प्रा०स्वा०के० स्तर से संकलन कर जिला स्वास्थ्य समिति को भेजने का आदेश दिया गया । इस संदर्भ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्वालपाड़ा से तीन आवेदन जिला स्वा० समिति मधेपुरा को भेजा गया । जिसमें एक आवेदक मैं भी था ।

दिनांक 31.08.2010 को जिला मुख्यालय में सभी आवेदकों का प्रायोगिक परीक्षा ली गयी लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्वालपाड़ा के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन किया गया जो न तो आवेदक था और न ही वह परीक्षा में सम्मिलित हुआ था । जो सरासर अन्याय है ।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि इस संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायिक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

इसके लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा ।

दिनांक 29.01.2012

विश्वासभाजन


Amrinder Kumar Pathak
अमरिन्द्र कुमार पाठक

पिता-श्री शक्तिनाथ पाठक

स्वतंत्रता सेनानी

ग्राम-पो०-उदाकिशुनगंज

जिला-मधेपुरा



मुख्य बिन्दु :-

- 1 जिला स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 27/23.01.2010 के अनुसार डाटा ऑपरेटर के अवधि विस्तार का अधिकार प्रा० स्वा० केन्द्र को दिया गया था ।
परन्तु प्रा० स्वा० केन्द्र के द्वारा रोगी क० समिति के बैठक द्वारा अवधि विस्तार करने के वावजूद पुनः नये सिरे से चयन के लिए आवेदन लिया गया जबकि पहले के पत्र के विरुद्ध कोई पत्र निर्गत नहीं किया गया ।
- 2 जिला स्वा० समिति के पत्रांक 325/13.07.2010 के द्वारा डाटा ऑपरेटर के चयन के लिए प्रा० स्वा० के० स्तर से विज्ञापन निकालकर आवेदन संकलन कर कम से कम तीन आवेदन जिला स्वा० समिति को भेजने के लिए कहा गया था ।

जिस आलोक में प्रा० स्वा० केन्द्र ग्वालपाड़ा में मात्र तीन आवेदन प्राप्त किया गया जिसे पत्रांक 247 दिनांक 31.7.10 के आलोक में जिला स्वा० समिति को भेजा गया ।

परन्तु प्राप्त या भेजे गये तीन आवेदक में से किसी भी आवेदक का चयन न होकर उस व्यक्ति का चयन किया गया जिसका न आवेदन था और न ही वे साक्षात्कार में सम्मिलित थे ।

- 3 राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के ज्ञापक 13256 दिनांक 18.08.10 के पत्र में प्रा० स्वा० केन्द्र में संचालित सभी डाटा सेंटरों का उन्नयन के संबंध में लिखा गया ।

जबकि जिला स्वास्थ्य समिति मधेपुरा के द्वारा उक्त पत्र का मूलतः इस्तेमाल करते हुए पुनः चयन की प्रक्रिया अपनायी गयी ।

दावा :-

मेरा चयन प्रा० स्वा० केन्द्र स्तर से पत्रांक 44/21.02.09 के द्वारा 11 महीने के अनुबंध पर किया गया था । परन्तु मैं लगातार 19 महीने 4 दिन तक कार्य किया । इस संदर्भ में मुझे मात्र 17 महीने का भुगतान किया गया । 2 महीने 4 दिन का भुगतान अब तक लंबित है ।

अमरेन्द्र कुमार पाठक
पिता-श्री शक्ति नाथ पाठक
ग्राम+पो०-उदाकिशुनगंज
जिला-मधेपुरा
फोन-9931497625